संख्या-51/2015/वे0आ0-2-883/दस-8(मु0स0स0)/2011टी0सी0

प्रेषक,

रमेश कुमार त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 01 सितम्बर, 2015

विषय :-- मुख्य सचिव समिति द्वारा फाइलेरिया निरीक्षक संवर्ग की वेतन विसंगति से सम्बन्धित प्रकरण पर दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पत्र संख्या-46/2015/वे0आ0-2-836/दस-2014-8(मु0स0स0)/2011, दिनांक 19 अगस्त, 2015 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र दिनांक 19 अगस्त, 2015 के प्रस्तर-1 की तीसरी पंक्ति में तथा प्रस्तर-2 में टंकण त्रुटिवश दिनांक 24 सितम्बर, 2015 अंकित हो गया है, जिसे दिनांक 24 सितम्बर, 2014 पढ़ा जाये।

2- उपर्युक्त पत्र दिनांक 19 अगस्त, 2015 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा ।

भवदीय,

रमेश कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

संख्या-51/2015/वे0आ0-2-883(1)/दस-8(मु0स0स0)/2011टी0सी0,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1
(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से,

रमेश कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in